इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2016—वैशाख 16, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. ई-1-119-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 6 माह के लिए जिला प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापनापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय गुप्ता, सलाहकार, राज्य योजना आयोग.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, जबलपुर.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	डॉ. मंजू शर्मा, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा वित्तीय सलाहकार नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, भोपाल.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.
3.	डॉ. श्रीकांत पाण्डेय उपसचिव, वाणिज्यिक कर विभाग तथा उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, ग्वालियर.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.
4	श्री शमीम उद्दीन उपसचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट, विदिशा.	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन.

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2016

क्र. ई-1-127-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रभांशु कमल (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.
2	श्री व्ही. सी. सेमवाल (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग.
3	श्री अश्विनी कुमार राय (1990) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश जल निगम.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.
4	श्री पंकज अग्रवाल (1992) वि. क. अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश जल निगम.
5	श्रीमती दीपाली रस्तोगी (1994) पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.	आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन तथा पंजीयन, महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार).

(2) उपरोक्तानुसार श्री व्ही. सी. सेमवाल, द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. मीना, भाप्रसे (1984), कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल अपर मुख्य सचिव, जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से तथा श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग तथा जेल विभाग (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रमुख सचिव, जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे (1992) आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (अतिरिक्त प्रभार) का कार्य भी पूर्ववत संपादित करते रहेंगे.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-564-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 16 मई से दिनांक 7 जून 2016 तक तेईस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त

अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 8, 9 एवं 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, अपर कलेक्टर, जिला खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-565-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती गौरी सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गैस राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग को दिनांक 13 जून से 2 जुलाई 2016 तक बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11, 12 जून एवं 3 जुलाई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती गौरी सिंह को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गैस राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती गौरी सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती गौरी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-868-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूफिया फारूखी वली, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 6 अक्टूबर 2015 से 2 अप्रैल 2016 तक एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 अप्रैल से 8 जुलाई 2016 तक सत्तानवें दिन का Leave Not Due स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूफिया फारूखी वली को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूफिया फारूखी वली को नियमानुसार अवकाश वेतन एवं भत्ता देय होगा.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूफिया फारूखी वली अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

क्र. ई-5-895-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मसूद अख्तर, आयएएस., कलेक्टर, जिला छतरपुर क़ो दिनांक 6 से 13 अप्रैल 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15, 16, 17 अप्रैल 2016 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) डॉ. मसूद अख्तर की अवकाश अवधि में श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत छतरपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला छतरपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मसूद अख्तर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. मसूद अख्तर द्वारा कलेक्टर, जिला छतरपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे, कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में डॉ. मसूद अख्तर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मसूद अख्तर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-805-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद सिंह बघेल, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 8 से 12 फरवरी 2016 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद सिंह बघेल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद सिंह बघेल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद सिंह बघेल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएस., नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 23 मई से 10 जून 2016 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 मई एवं 11, 12 जून 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2016

क्र. ई-1-128-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थापनापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आर. एस. जुलानिया (1985) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	वि.क.अ.-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल
2	श्री बी. आर. नायडू (1986) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्रीमती शिखा दुबे (1987) संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी का अतिरिक्त प्रभार.	-
4	श्री आशीष उपाध्याय (1989) वि. क. अ.-सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	-
5	श्रीमती अलका उपाध्याय (1990) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा विकास आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	-
6	श्री आशीष श्रीवास्तव (1992) वि. क. अ.-सह-सदस्य, राजस्व मंडल ग्वालियर एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	वि. क. अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
7	श्री व्ही. एल. कांताराव (1992) वि. क. अ.-सह-आयुक्त, उद्योग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम एवं लघु उद्योग निगम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, वि. क. अ.-सह-आयुक्त उद्योग, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम, वस्त्र निगम तथा लघु उद्योग निगम का (अतिरिक्त प्रभार).	-
8	श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव (1992) वि. क. अ.-सह-आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	-
9	श्री अनुपम राजन (1993) आयुक्त जनसंपर्क.	पर्यावरण आयुक्त तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) तथा आयुक्त, जनसंपर्क (अतिरिक्त प्रभार).	-
10	श्री रमेश एस. थेटे (1993) सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
11	श्री सचिन सिन्हा (1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	संचालक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी एवं सचिव मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग.	-
12	डॉ. मधु खरे (1997) सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर	सचिव, मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग.	-
13	श्री के. के. खरे (1997) कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.	प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल	सचिव म. प्र. शासन
14	श्री केदारलाल शर्मा (1999) कलेक्टर, टीकमगढ़.	वि.क.अ.-सह-संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं.	संभागीय कमिश्नर
15	श्री संतोष कुमार मिश्रा (1999) कलेक्टर, सतना.	संचालक, पंचायती राज	-
16	श्रीमती रजनी उइके (1999) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.	वि.क.अ.-सह-सचिव, राज्य सूचना आयोग	संभागीय कमिश्नर
17	श्री शिवनारायण रूपला (2000) कलेक्टर, जबलपुर.	कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	-
18	श्रीमती जयश्री कियावत (2000) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक, एड्स (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.	-
19	श्री नीरज दुबे (2000) कलेक्टर, खरगौन.	आयुक्त, लोक शिक्षण	-
20	श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय (2000) वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	-
21	श्री के. सी. जैन (2000) वि.क.अ.-सह-अपर आयुक्त (राजस्व), उज्जैन संभाग.	सदस्य, राजस्व मंडल, ग्वालियर	-
22	श्री जे. के. जैन (2002) कलेक्टर, रायसेन.	कलेक्टर, छिंदवाड़ा	-
23	श्री महेश चन्द्र चौधरी (2002) कलेक्टर, छिन्दवाड़ा.	कलेक्टर, जबलपुर	-
24	श्री नरेश पाल कुमार (2003) कलेक्टर, नरसिंहपुर.	कलेक्टर, सतना	-
25	श्री लोकेश कुमार जाटव (2004) कलेक्टर, मंडला.	कलेक्टर, रायसेन	-

(1)	(2)	(3)	(4)
26	श्री संजीव सिंह (2005) नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (डीएमआई)तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.	संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री तथा संचालक, आपदा प्रबंधन संस्थान (डीएमआई) का अतिरिक्त प्रभार.	–
27	श्री अशोक कुमार वर्मा (2005) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.	कलेक्टर, खरगौन	–
28	श्रीमती छवि भारद्वाज (2008) कलेक्टर, डिण्डौरी.	आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
29	श्री कृष्ण गोपाल तिवारी (2008) कलेक्टर, उमरिया.	संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास.	–
30	श्री सिबि चक्रवर्ती एम. (2008) संचालक, कौशल विकास.	कलेक्टर, नरसिंहपुर	–
31	श्री व्ही. किरण गोपाल (2008) संचालक, आदिमजाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य आदिवासी वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं संचालक एड्स (अतिरिक्त प्रभार) तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) का अतिरिक्त प्रभार	उप सचिव मध्यप्रदेश शासन
32	सुश्री प्रियंका दास (2009) अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	कलेक्टर, टीकमगढ़	–
33	श्री अभिषेक सिंह (2009) संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी (अतिरिक्त प्रभार).	कलेक्टर उमरिया	–
34	सुश्री प्रीति मैथिल (2009) अपर कलेक्टर, नीमच.	कलेक्टर, मंडला	–
35	श्री अमित तोमर (2009) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) खण्डवा.	कलेक्टर डिण्डौरी	–
36.	श्री तेजस्वी एस. नायक (2009) आयुक्त, नगरपालिक निगम, भोपाल	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग.	–
37	श्री मोहित बुंदस (2011) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं पदेन अपर कलेक्टर (विकास) सीधी.	अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल	मु. का. अ. जिला पंचायत

(2) उपरोक्तानुसार श्री बी. आर. नायडू, भाप्रसे (1986) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. के. वार्ष्णेय, भ्रापसे (1991), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं श्रम विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्रीमती शिखा दुबे भाप्रसे (1987) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास तथा आयुष विभाग (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुष विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(4) उपरोक्तानुसार श्री आशीष उपाध्याय, भाप्रसे (1989)द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), वि. क. अ.-सह-राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास विभाग एवं पुनर्वास आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग केवल प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) उपरोक्तानुसार श्री आशीष श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992)द्वारा वि. क. अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश उन्हाले, भा.व.से., अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा आवासीय आयुक्त और विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार केवल आवासीय आयुक्त तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) उपरोक्तानुसार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे (1992)द्वारा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, भाप्रसे (1992), प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम तथा प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग केवल प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग से मुक्त होंगे.

(7) उपरोक्तानुसार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993) द्वारा पर्यावरण आयुक्त तथा कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे (1990), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन केवल पर्यावरण आयुक्त के प्रभार से तथा श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996), आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) अतिरिक्ति प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम (अतिरिक्त प्रभार) केवल कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(8) श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, भाप्रसे (1993), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, आयुक्त, कोष एवं लेखा का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(9) श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(10) श्री के. के. खरे, भाप्रसे, (1997) द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. श्रीवास्तव, भाप्रसे (1997), सचिव, राजस्व विभाग एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख राजस्व आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(11) उपरोक्तानुसार श्री नीरज दुबे भाप्रसे (2000) द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे (1993), आयुक्त-सह-संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आयुक्त, लोक शिक्षण (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, लोक शिक्षण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(12) श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2003), अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2016

क्र. ई-5-457-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस., महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) को दिनांक 20 अप्रैल से दिनांक 28 मई 2016 तक उन्चालीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19 अप्रैल एवं 29 मई 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती कंचन जैन की अवकाश अवधि में उनका श्रीमती सुरंजना रे, भाप्रसे अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कंचन जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती कंचन जैन द्वारा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, साप्रवि (विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सुरंजना रे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

क्र. ई-1-119-2016-5-एक.—डॉ. मंजू शर्मा, भाप्रसे, को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च, 2016 से विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट भोपाल नियुक्त किया गया है.

(2) डॉ. मंजू शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्ट्रेट भोपाल के अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास का कार्य भी संपादित करती रहेंगी.

क्र. ई-5-486-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को दिनांक 4 से 7 अप्रैल 2016 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 8, 9, 10 अप्रैल 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. के. बाथम, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री व्ही. के. बाथम उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विनोद चन्द्र सेमवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद चन्द्र सेमवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. ई-1-132-2016-5-एक.—श्री एस. एस. कुमरे, भाप्रसे (2000), उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पदस्थ किया जाता है.

(2) सुश्री शशिकला खत्री, राप्रसे (1987), उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-136-2016-5-एक.—श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे (1997), कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कमिश्नर, सागर संभाग, सागर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. ई-1-123-2016-5-एक.—डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, भाप्रसे (2001), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग तथा संचालक, बजट की सेवाएं माननीय श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, भारत सरकार के निज सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती हैं.

क्र. ई-5-791-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 17 से 22 अप्रैल 2016 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री निशांत वरवड़े की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. जामोद, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. जामोद, कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ. 1(बी) 84-14-बी-4-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 फरवरी 2016 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित श्री राजेश कुमार झा, म. नं. 113-114, थर्ड फ्लोर, पॉकेट-13, सेक्टर 20, रोहणी, दिल्ली 110086 की नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में की गई है. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार श्री राजेश कुमार झा को नियुक्ति आदेश प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है.

(2) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि-एफएसएल-149-16, दिनांक 29 मार्च 2016 के अनुसार श्री राजेश कुमार झा, द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति उपरान्त राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(3) अतः राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 13144-43-13-चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स. क्र.-1 (अनुक्रमांक-101749) में उल्लेखित श्री राजेश कुमार झा की वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 27 फरवरी 2016 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर श्री राजेश कुमार झा के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. एफ 1(ए) 29-16-ब-2-दो.—(1) श्री विकास कुमार सहवाल, भा, पु. से. (परि.) थाना प्रभारी मझगवां, जबलपुर को दिनांक 28 मार्च से 11 अप्रैल 2016 तक, 15 दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास कुमार सहवाल भा, पु. से. (परि.) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, थाना प्रभारी मझगवां, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विकास कुमार सहवाल भा, पु. से. (परि.) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास कुमार सहवाल भा, पु. से. (परि.) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. एफ 1(बी)83-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची के स. क्र.-13 (अनुक्रमांक-100984-अन्य पिछड़ा वर्ग्-महिला) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान

रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	13	कु. पूनम वर्मा, 33-ए, मुरार एन्क्लेव रेजीडेंसी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर म. प्र.-474005	राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर.

(2) नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में कॉलम 04 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नवनियुक्ति अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक ''बाण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे.

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(9) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियॉ रोस्टर पंजी में कर दी गई है.

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

क्र. एफ 1(बी)83-14-बी-4-दो.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13145/45/13/चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 के साथ संलग्न प्राप्त वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह (पुलिस) विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन सूची के स. क्र. 26, अनुक्रमांक-100805, डॉ. सुनील कुमार स्नेही का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के तहत किया गया था तथा शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा इनकी नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) जिला सीन ऑफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट श्योपुरकला की गई है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2016 द्वारा डॉ. सुनील कुमार स्नेही के आवेदन पत्र के आधार पर इन्हें

नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल पर दिनांक 15 मार्च 2016 तक कार्यभार ग्रहण करने की अवधि में वृद्धि किये जाने के आदेश जारी किये गये. पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि-एफएसएल-149-16, दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा यह अवगत कराया गया कि डॉ. सुनील कुमार स्नेही द्वारा आज दिनांक तक नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(3) अतः राज्य शासन द्वारा डॉ. सुनील कुमार स्नेही द्वारा समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 की कंडिका-2 में निहित निर्देशों के अनुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि एवं कार्यभार ग्रहण अवधि में वृद्धि करने संबंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2016 द्वारा दिनांक 15 मार्च 2016 व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पदस्थापना स्थल जिला सीन ऑफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, श्योपुरकला में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा जारी डॉ. सुनील कुमार स्नेही की वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश निरस्त किया जाकर वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर नियुक्ति संबंधी इनका दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

क्र. एफ 1(बी)85-14-बी-4-दो.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 13143/44/13/चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 के साथ संलग्न प्राप्त वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गृह (पुलिस) विभाग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चयन सूची के स. क्र. 22, अनुक्रमांक-102155, श्री राजेश कुमार सैनी का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत किया गया था तथा शासन समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा इनकी नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) जिला सीन ऑफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट उमरिया की गई है.

(2) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्र. अअवि/एफएसएल/149/16, दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा यह अवगत कराया गया कि श्री राजेश कुमार सैनी द्वारा आज दिनांक तक नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.

(3) अतः राज्य शासन श्री राजेश कुमार सैनी द्वारा समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 की कंडिका-2 में निहित निर्देशों के अनुसार आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी पदस्थापना स्थल जिला सीन ऑफ क्राईम (मोबाईल) यूनिट, उमरिया में कार्यभार ग्रहण करने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने के कारण समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 द्वारा जारी श्री राजेश कुमार सैनी की वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति संबंधी आदेश निरस्त किया जाकर वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति संबंधी इनका दावा सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.

क्र. एफ 1(बी)85-2014-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आयोजित परीक्षा 2013 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुपूरक सूची के स. क्र.-10 (अनुक्रमांक-102361-अन्य पिछड़ा वर्ग) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100+5400/- में वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) के पद पर उनके नाम के सम्मुख कालम (4) में अंकित कार्यालय में नियुक्त किया जाता है:—

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपूरक सूची का क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्राचार का पता	पदस्थापना कार्यालय/ स्थल
(1)	(2)	(3)	(4)
1	10	श्री अनिल कुमार सोनी, ए-32, अभिनंदन नगर, सुखालिया, इंदौर, मध्यप्रदेश	क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर.

(2) नवनियुक्त अधिकारी द्वारा स्वयं के स्वास्थ्य के संबंध में संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, इन्दौर संभाग, इन्दौर के पत्र क्र. मेडिकल बोर्ड-16-3258, दिनांक 22 अप्रैल 2016 में उल्लेखित अनुसार दिनांक 7 मई 2016 को संभागीय मेडिकल बोर्ड, इन्दौर की मासिक बैठक के पश्चात् जारी उपयुक्त (Fit)होने संबंधी स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कॉलम 4 में अंकित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा. इनके स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति विभाग को भी सम्प्रेषित की जायेगी. स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने पर नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा.

(3) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश न्यायालयिक प्रयोगशाला (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1993 से शासित होगी. सेवा संबंधी अन्य मुद्दे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे.

(4) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है. इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहे तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा. एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस

समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी.

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी.

(6) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा.

(7) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक "बाण्ड" शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये उत्तरदायी होंगे.

(8) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा.

(9) प्रत्याशी को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति पदस्थापना संबंधी जिले के पुलिस अधीक्षक/संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय/कार्यालय प्रमुख के सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे.

(10) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) दिनांक 13 मई 2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियॉ रोस्टर में पंजी में कर दी गई है.

(11) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6, की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अप्रैल 2016

फा. क्र. 3(सी)8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अरूण शुक्ला, अधिवक्ता जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 23 फरवरी 2016 से दिनांक 22 फरवरी 2017 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (102) उच्च न्यायालय (579) उच्च न्यायालय भारित (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2016

पंजी क्र. 1339-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन तहसील-मुलताई, जिला मुख्यालय, बैतूल में नियुक्त नोटरी, श्री बी. आर. कोसे, का दिनांक 9 अक्टूबर 2015 को निधन होने के फलस्वरूप, मृतक के नोटरी नियुक्ति आदेश दिनांक 23 मई 2009 एवं नवीनीकरण आदेश दिनांक 21 मई 2014 को अपास्त करते हुए श्री बी. आर. कोसे का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के.वैद्य, सचिव.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल, 2016

क्र. एफ 3-13-2010-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ओ. पी. सक्सेना, संयुक्त संचालक, संचालनालय मत्स्योद्योग, भोपाल को संचालक मत्स्योद्योग, के समकक्ष पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 37,400—67000+ ग्रेड पे 8900 में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करते हुए, उन्हें अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री ओ. पी. सक्सेना उक्त कार्य के साथ-साथ संचालनालय मत्स्योद्योग में संयुक्त संचालक के पद का अतिरिक्त कार्य भी आगामी आदेश तक संपादित करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2016

क्र. एफ 16-18-2015-बी-ग्यारह.—राज्य सरकार एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध नियम, 2016 के नियम 6 के उपनियम (1) के प्रावधानों अंतर्गत मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर को इन्दौर राजस्व संभाग (जिला-इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगौन, झाबुआ, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर) के क्षेत्राधिकार में आने वाले निवेश क्षेत्र के लिए निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना (स्कीम) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एजन्सी के रूप में प्राधिकृत करता है.

No. F 16-18-2015-B-XI.—In exercise of the Power conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act, 2013 and sub-rule (1) of Rule 6 of Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Rules, 2016 the State Government hereby authorize M. P. Audhyogik Kendra Vikas Nigam Indore to function as an agency for investment region situated in the Indore Revenue Division (District-Indore, Dhar, Khandwa, Khargone, Jhabua, Burhanpur, Badwani, Alirajpur), to prepare Investment Region Development and Management Schemes and to implement the provisions of the Act and rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2016

क्र. एफ-11-25-2015-तीस.—राज्य शासन आदेश क्रमांक एफ क्रमांक एफ 11-25-2015-तीस, दिनांक 04 नवम्बर 2015 द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित अनुसूची के कॉलम क्रमांक 7 में 32.282 है. का उल्लेख है उसे विलोपित करते हुये उक्त के स्थान पर 7452.2214 वर्गफुट स्थित भूमि पढ़ा जावे.

अनुसूची

अनुसूची राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	ग्राम नरसिंहपुर प.ह.नं. नरसिंहपुर न. 40.	नरसिंह मंदिर	48	7452.2214 वर्गफुट	शासकीय राजस्व विभाग, म.प्र. शासन.	नहीं है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. एफ-11-16-2012-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत बेनजीर बिल्डिंग ईदगाह हिल्स, भोपाल को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-16-2012-तीस, भोपाल दिनांक 7 दिसम्बर 2012 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए अधिसूचित किया गया था.

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिसूचना को एतद् निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. एफ 3-37-2016-अठारह-5-**शुद्धि पत्र**-.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 12 अप्रैल 2016 में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-69-2007-बत्तीस, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017 के स्थान पर आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-69-2007-बत्तीस, भोपाल दिनांक 21 सितम्बर 2007 पढ़ी जावे.

क्र. एफ. 3-59-2015-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-59-2015-अठारह-5, दिनांक 16 नवम्बर 2015 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित बुरहानपुर विकास योजना, 2021 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम मोहम्मदपुरा	469, 470, 471, 472, 473, 474, 488/3.	5.01	कृषि	औद्योगिक (स्पिनिंग (मिल के निर्माण)

योग . . 5.01

(2) आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 73,27,125/- (रुपये तैहत्तर लाख सत्ताई हजार एक सौ पच्चीस रुपये मात्र) दिनांक 2 मार्च 2016 को भारतीय स्टेट बैंक बुरहानपुर में चालान क्रमांक-84 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई.

(3) विकास अनुमति प्राप्त करते समय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

(4) 33 के. व्ही. हाईटेंशन विद्युत लाईन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 52 अनुसार भूमि रिक्त छोड़ना अनिवार्य होगा.

(5) आवेदक को आई ई एस के मापदण्डों के अनुसार 1.5 किलोमीटर लंबे 12 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण स्वयं के व्यय से करना होगा.

(6) आवेदक उक्त मार्ग के लिए आर. ई. एस. के प्राक्कलन अनुसार कुल लागत 27.47 लाख के 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी बिना शर्त के कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान के नाम से जमा करनी होगी.

(7) सक्षम प्राधिकारी, नगर तथा ग्राम निवेश, बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के तथ्य की पुष्टि कराये बिना उपांतरित भूमि पर कोई विकास अनुज्ञा जारी नहीं करेगा.

(8) आवेदक संस्था कंडिका-5 में उल्लेखित निर्माण कार्य निर्धारित प्राक्कलन के अनुसार पूरा करने पर उसकी जानकारी कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान को प्रस्तुत करेगी.

(9) कार्यपालन संचालक, राज्य नगर नियोजन संस्थान यह प्रमाणित करने के पश्चात् कि उक्त निर्माण दिये गये प्राक्कलन के अनुरूप निर्मित कर लिया गया है, तदोपरांत बैंक गारंटी आवेदक संस्था के पक्ष में मुक्त करेगी.

(10) उपरोक्त बैंक गारंटी की अवधि कम से कम 12 माह की होगी तथा कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान में निर्देशानुसार आवेदक संस्था के आवेदन पर इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है अन्यथा सक्षम प्राधिकारी से विकास अनुज्ञा प्राप्त करने के 12 माह के भीतर का निर्माण का कार्य पूरा नहीं किए जाने पर कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान उक्त गारंटी की राशि राजसात कर सकेगा.

(11) मार्ग निर्माण की शर्त की पूर्ति किये बिना की अगर उक्त बैंक गारंटी समय बाधित हो जाती है तो इसका पूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारी तथा कार्यपालन संचालक राज्य नगर नियोजन संस्थान का होगा.

(12) उपरोक्त उपांतरण बुरहानपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला, छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्र. 12-स्था. निर्वा.-मण्डी-137-2016.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छतरपुर मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में म. प्र. कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम-2010 के अंतर्गत छतरपुर जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्द्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं.

क्रं.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा	प्रस्तावित करने वाले सांसद/विधायक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	कृषि उपज मण्डी समिति 175-लवकुशनगर	श्री त्रिलोक सिंह पिता श्री भूपत सिंहा, निवासी ग्राम रगौली, तहसील राजनगर, जिला-छतरपुर, म. प्र.	मण्डी अधिनियम की धारा-11(1) (घ).	विधान सभा क्षेत्र 50-राजनगर

मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518, न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर

इंदौर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. 1-2-नवम-(1)86.—मैं, के. सी. गुप्ता, श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभागीय आदेश क्रमांक 473-7258-सोलह, दिनांक 24 जनवरी, 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये श्रम निरीक्षक को इसी सारणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं:—

क्रमांक (1)	निरीक्षक का नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1	श्री राधाकिशन तोनगर	पदस्थापना के कार्यालय में स्थित स्थानीय क्षेत्रों एवं उसमें स्थित सभी प्रकार के संस्थानों तथा श्रमायुक्त द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य क्षेत्रों के लिये किंतु यह क्षेत्राधिकार म. प्र. दुकान एवं स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 41(3) के अध्ययीन होगा.
2	श्री सुभाष शाहणे	
3	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी	
4	श्री मुन्नालाल वर्मा	
5	श्रीमती सुमन निगम	
6	श्री कलसिंह पारगी	
7	श्री आर. एस. उद्दे	
8	श्री आशाराम वर्मा	
9	श्री आर. सी. वास्केल	

के. सी. गुप्ता, श्रमायुक्त.

कार्यालय—सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), इन्दौर
तहसील एवं जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

क्रमांक 1181-भू-अर्जन-2016 इन्दौर, दिनांक 2 मई 2016

अधिसूचना

प्ररूप "ख"

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

कमांक— 01/अ—82/2015-16 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम— सिरलाय, प0ह0नं0— 46, तहसील— बड़वाह, जिला— खरगोन से ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक— 30, मनावर, जिला— धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस

के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	**इन्दौर**	**डेहरी प.ह.नं.– 12**	**25/2**	**0.022**
			25/3	**0.046**
			27	**0.068**
			29/1	**0.097**
			36	**0.070**
			37/2	0.084
			38	0.097
			73/1	0.238
			73/2	0.066
			98	0.145
			99	0.057
			102/2	0.176
			115/Min 1	0.093
			114	0.088
			120/2	0.101
			127/1	0.022
			128/1	0.066
			128/2	0.044
			132/1	0.150
			133/1/Min 1	0.333
			133/1/2	0.172
			224/2/1	0.163
		कुल योग	**22**	**2.398**

क्र. 1186-भू.अ-16 **कमांक– ...02.../अ–82/2015–16** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम– सिरलाय, प0ह0नं0– 46, तहसील– बड़वाह, जिला– खरगोन 'से' ग्राम– बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	रंगवासा प.ह.नं.– 13	11/1/702	0.163
			11/2/703	0.088
			12/704/2	0.044
			12/704/3	0.097
			15/708/ मीन–1	0.136

सक्षम प्राधिकारी

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	रंगवासा प.ह.नं.– 13	15/708/ मीन–2	0.018
			16/709	0.079
			18/710/1	0.057
			19/710/1	0.009
			18/710/2	0.009
			19/710/2	0.097
			97/795/2	0.062
			99/797/2	0.070
			81/778/1	0.013
			85/784/2	0.062
			81/778/2	0.132
			81/778/3	0.123
			85/784/1	0.022
			86/785/2	0.006
			88/787/2	0.053
			89/788/1	0.119
			89/788/2	0.101
			94/1	0.167
			94/3	0.044
			97/795/3/2	0.075
			99/797/1	0.066
		कुल योग	26	1.912

क्र. 1191-भू.अ-16 **कमांक- ...07.../अ-82/2015-16** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा-मालवा-गंभीर, लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम- सिरलाय,, प0ह0नं0- 46, तहसील- बड़वाह, जिला- खरगोन से ग्राम- बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला- इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सिंदोड़ी प.ह.नं.- 12	7/2/1	0.040
			7/2/2/Min-1	0.035
			7/2/2/Min-2	0.007
			173/1/2	0.026
			173/9/2	0.026

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सिंदोड़ी प.ह.नं.– 12	173/6	0.044
			179/1	0.009
			173/7	0.009
			182/3/Min-1	0.119
			173/9/1	0.167
			178	0.084
			180/1	0.035
			180/2	0.070
			180/3	0.031
			181	0.011
			182/2	0.070
			186/2/1/Min-1	0.084
			182/3/Min-2	0.066
			184/1	0.044
			186/1	0.110
			193/2/1	0.017
			193/2/2	0.062
			193/3	0.119
			196/1/2	0.106
			205/1	0.136
			205/2	0.119
		कुल योग	26	1.646

क्र. 1196-भू.अ-16 **कमांक– 04/अ–82/2015–16** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम– सिरलाय, प0ह0नं0– 46, तहसील– बड़वाह, जिला– खरगोन से ग्राम– बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सिंदोड़ा प.ह.नं.– 11	173	0.039
		कुल योग	1	0.039

क्र. 1201-भू.अ-16 **कमांक– ...05../अ–82/2015–16** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम– सिरलाय, प0ह0नं0– 46, तहसील– बड़वाह, जिला– खरगोन से ग्राम– बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	बिसनावदा प.ह.नं.– 05	202/1/2	0.048
			203	0.140
			205	0.028
			209/1	0.136
			210/2	0.120
			213/1/1/1	0.080
			213/3/1	0.050
			213/3/2	0.030
			213/4	0.170
		कुल योग	9	0.802

क्र. 1206-भू.अ-16 **कमांक– 06 /अ–82/2015–16** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम– सिरलाय, प0ह0नं0– 46, तहसील– बड़वाह, जिला–'खरगोन से ग्राम– बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	धरनावद प.ह.नं.– 04	162/3/1/1	0.011
			162/3/2	0.067
			162/3/3	0.031
			167	0.139
			172/2/5	0.004

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	धरनावद प.ह.नं.– 04	172/3/1	0.077
			172/3/2	0.070
			172/4/1	0.072
			172/4/2/1	0.075
			187/7	0.015
			187/8	0.044
			189	0.123
			190/2	0.139
			192/1	0.057
			193/1/1	
			193/3	0.114
			193/2/1/1	0.097
			193/2/1/2	
			193/2/2	0.031
			192/2	0.123
			193/1/2	
		कुल योग	21	1.289

क्र. 1211-भू.अ-16 **कमांक— ..57..../अ—82/2015—16** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा—मालवा—गंभीर लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम— सिरलाय, प0ह0नं0— 46, तहसील— बड़वाह, जिला— खरगोन से ग्राम— बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला— धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला— इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सावल्याखेड़ी प.ह.नं.— 03	71/1	0.019
			72	0.057
			73/1	0.018
			73/3	0.022
			77	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	सावल्याखेड़ी प.ह.नं.– 03	76/Min- 2	0.070
			78/1/min-1	0.057
			79/1/1	0.026
			79/1/2	0.048
			79/2	0.048
			84	0.053
			83/1/Min-2	0.022
			83/2	
			85	0.044
			76/min-1	0.004
			86/min-1	0.013
			101	0.101
			102	0.066
			103	0.018
			104	0.062
			105	0.006
			106	0.006
			130/167/1	0.019
			130/167/2	0.053
			130/168/1	0.079
			130/168/2	0.075
			133/3	0.117
			136/3	0.057
			136/2	0.062
			136/7	0.055
			136/5	0.004
			136/8/1	0.057
			150/2/1	0.092
			150/2/2	0.038
			150/2/3	0.093
			158/1/1	0.154
			158/1/2	0.035
		कुल योग	37	1.792

क्र. 1216-भू.अ-16 **कमांक– ....02../अ–82/2015–16** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि **नर्मदा–मालवा–गंभीर लिंक परियोजना** के अंतर्गत जल परिवहन हेतु **ग्राम– सिरलाय, प0ह0नं0– 46, तहसील– बड़वाह, जिला– खरगोन से ग्राम– बड़ीकलमेर तहसील हातोद जिला इन्दौर** तक मध्यप्रदेश राज्य **कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला– धार** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक– 5 सन् 2013) की धारा– 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा– 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), इन्दौर, तहसील एवं जिला– इन्दौर** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	श्रीरामतलावली प.ह.नं.– 10	5	0.172
			4/1/1	0.008
			7/1	0.040
			7/2	0.114
			7/3	0.119

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	इन्दौर	श्रीरामतलावली प.ह.नं.– 10	8/2/3	0.097
			11/1	0.075
			11/2	0.106
			12/1	0.094
			23	0.011
			22	0.077
			25/1	0.097
			26	0.013
			24/2/2/1	0.009
			24/3	0.066
			24/2/3/1	0.154
			24/2/4	0.079
			67/1/2/2	0.201
			67/7	0.055
			73/1	0.031
			73/6	0.189
			73/7	0.066
			81/1/2/2	0.119
			81/2/2	0.026
			81/3	0.020
			81/4	0.044
			83/1	0.106
			87/2	0.119
			93/2	0.097
			88/1	0.084
			88/2	0.084
			89/1	0.040
			89/2/1	0.090
			89/2/2	0.090
			92	0.013
			93/1	0.119
		कुल योग	36	2.924

संदीप सोनी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-4
'Aayakar Bhawan', Hoshangabad Road, Bhopal M.P. 462011

F. No. Addl. CIT/R-4/BPL/Jurisdiction/2015-16/01 Bhopal, dated 13th April 2016

NOTIFICATION

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), and in pursuance of Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes, New Delhi dated 22nd October 2014, order No. 31,32,33 of 2014-15 of Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA) MP & CG in F. No. CCIT/MP/estt./C&A/14-15dated 15/11/2014 and the Notification issued by Principal Commissioner of Income tax/Commissioner of Income tax, Bhopal-2 in F. No. CIT-2/BPL/Tech (Jurisdiction)/2014-15/01 dated 15/11/2014, and in pursuance of Notification in F.No. Pr.CCIT/BPL/Tech/Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and Corrigendum dated 12.04.2016 of the Principal Chief Commissioner of Income tax, MP & CG, Bhopal and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner /Joint Commissioner of Income tax, Range-4, Bhopal directs that the Deputy/Assistant Commissioners of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col. 2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s), in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961.

2. **This notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016.**

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income Tax authorities	Headquarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
1	2	3	4	5	6
1	Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-4(1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4); (b) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act,	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "salary" and who are ; (i) employees or pensioners of Banks, in whose income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs. (b) all cases of companies mentioned in corresponding entry in item (b) of column

				1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)	(5) whose names begin with the alphabet "R" or "T" or "U" in whose income returned as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation ; Bhopal - Ward Nos13 to 21. (ii) Berasia Tehsil (c) In the state of Madhya Pradesh District of Vidisha	(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4). (e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) (f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs. (e) All cases of persons referred to in corresponding cntrics in items (f) and (g) of column (5);

			(d) District of Vidisha	(h) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4); (i) Persons being individuals referred to in item (g) of column (6)	(f) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of column(5) in whose income returned as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (g)all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).
2	Income Tax officer -4 (1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'R' in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos 13 to 15	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
3	Income Tax officer -4(2), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'T' and in whose cases income/loss as per latest

				registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos . 16 & 17	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
4	Income Tax officer -4(3), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'U' and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos 18 to 21	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs

			(ii) Berasia Tehsil	(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	
5	Income Tax officer -4(4), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "salary" and who are (i) employees or pensioners of Bank and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.
6	Income Tax officer -Vidisha	Vidisha Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh District of Vidisha	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4). (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4) (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Vidisha District (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above. (c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs. (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakh.

'Explanation:-

For the purposes of this notification-

(i) "Residing "means,-

(a) in the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this Notification:

(b) in the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta: and

(c) in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located.

(ii) in cases of companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter "numeric companies"), the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies.

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's the AO having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons.

(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s) is/are or was/were partner/partners in more than one firm, the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners.

(v) The word 'persons' shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (31) of section-2 of Income-tax Act, 1961.

(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule-1 of this Notification are as per Notification No. 3222/sa.2/09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt. of Madhya Pradesh.

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), and in pursuance of Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes, New Delhi dated 22nd October 2014, order No. 31,32,33 of 2014-15 of Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA) MP & CG in F. No. CCIT/MP/estt./C&A/14-15 dated 15/11/2014 and the Notification issued by Principal Commissioner of Income tax/Commissioner of Income tax, Bhopal-2 in F. No. CIT-2/BPL/Tech (Jurisdiction)/2014-15/01 dated 15/11/2014 and in pursuance of Notification in F.No. Pr.CCIT/BPL/Tech/Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and Corrigendum dated 12.04.2016 of the Principal Chief Commissioner of Income tax, MP & CG, Bhopal and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner /Joint Commissioner of Income tax, Range-5, Bhopal directs that the Deputy/Assistant Commissioners of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col. 2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s), in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961.

2. **This notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016.**

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income Tax authorities	Headquarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
1	2	3	4	5	6
1	Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-5(1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4); (b) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "salary" and who are ; (i) employees or pensioners of Public Sector Undertakings (excluding Banks) and Insurance companies and in whose income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs. (b) all cases of companies mentioned in corresponding

				principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)	entry in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet "S" or "V" or "W" or "X" or "Y" or "Z" and in whose income returned as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal - Ward Nos 34 to 41 & 53 to 70 (c) In the state of Madhya Pradesh District of Raisen excluding Mandideep Industrial area, Mandideep	(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4). (e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4). (f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs. (c) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f) and (g) of column (5) and in whose case income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs.

			(d) District of Raisen excluding Mandideep Industrial area , Mandideep	(h) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4); (i) Persons being individuals referred to in item (g) of column (6)	(f) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of column(5) and in whose case income returned as per latest return of income is above Rs.20 lakhs. (g)all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).
2	Income Tax officer -5 (1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'S' and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos 34 to 41	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs

3	Income Tax officer -5(2), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'V' & 'W' and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos . 53 to 63	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
4	Income Tax officer 5(3), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (b) of column (6) .	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'X' to 'Z' and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos 64 to 70	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs

				(d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4)	
5	Income Tax officer -5(4), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "salary" and who are (i) employees or pensioners of Public Sector Undertakings (excluding Banks) and Insurance companies and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs.
6	Income Tax officer -Raisen	Raisen, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh District of Raisen (excluding Mandideep Industrial Area)	(a) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4). (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4). (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Raisen District (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in item (c) of column (5) and in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above. (c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) and in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs. (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary and in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakh.

Explanation:-

For the purposes of this notification-

(i) "Residing "means,-

(a) in the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this Notification:

(b) in the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta: and

(c) in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located.

(ii) in cases of companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter "numeric companies"), the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies.

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's the AO having jurisdiction over the director or managing directors of the company will have jurisdiction over such persons.

(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s) is/are or was/were partner/partners in more than one firm, the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners.

(v) The word 'persons' shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (31) of section-2 of Income-tax Act, 1961.

(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule-1 of this Notification are as per Notification No. 3222/sa.2/09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt. of Madhya Pradesh.

In supersession of all earlier orders on the subject and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), and in pursuance of Notification No. S.O. 2752(E) of Central Board of Direct Taxes, New Delhi dated 22nd October 2014, order No. 31,32,33 of 2014-15 of Principal Chief Commissioner of Income Tax (CCA) MP & CG in F. No. CCIT/MP/estt./C&A/14-15 dated15/11/2014 and the Notification issued by Principal Commissioner of Income tax/Commissioner of Income tax, Bhopal-2 in F. No. CIT-2/BPL/Tech (Jurisdiction)/2014-15/01 dated 15/11/2014 and in pursuance of Notification in F.No. Pr.CCIT/BPL/Tech/Jurisdiction/2015-16 dated 18.12.2015 and Corrigendum dated 12.04.2016 of the Principal Chief Commissioner of Income tax, MP & CG, Bhopal and all other powers enabling in this behalf, the Additional Commissioner /Joint Commissioner of Income tax, Range-3, Bhopal directs that the Deputy/ Assistant Commissioners of Income Tax and the Income Tax Officers mentioned in col. 2 of the Schedule below shall exercise the powers and perform the functions of the Assessing Officer(s), in respect of such cases or classes of cases as specified in column (6) and such persons or classes of persons as specified in column (5) of the Schedule below except cases falling within the jurisdiction of other Assessing Officers by virtue of section 127 or section 120 of the Income tax Act, 1961.

2. **This notification shall come into force with effect from 15th day of April 2016.**

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of Income Tax authorities	Headquarters	Territorial Areas	Persons or classes of persons	Cases or classes of cases
1	2	3	4	5	6
1	Deputy/Assistant Commissioner of Income Tax, Circle-3(1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession, and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4); (b) Persons being companies registered under the Companies	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "salary" and who are (i). employees or pensioners of Central Government in whose case income returned as per latest return of income is above Rs. 15

				Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4); (c) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)	lakhs. (ii) Persons not falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/ Commissioner of Income Tax, Bhopal-I in whose case income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs. (b) all cases of companies mentioned in corresponding entry in item (b) of column (5) whose names begin with the alphabet "N" or "O" or "P" or "Q" in whose cases income/loss as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (c) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (b) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal - Ward Nos 01 to 12. (c) In the state of Madhya Pradesh District of Sehore	(d) persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4). (e) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) (f) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and	(d) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (d) and (e) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose case income returned as per latest return of income is above Rs. 15 lakhs. (e) All cases of persons referred to in corresponding entries in items (f) and (g) of column (5);

				residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); (g) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);	
			(d) District of Sehore	(h) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (d) of column (4); (i) Persons being individuals referred to in item (g) of column (6)	(f) All cases of companies referred to in corresponding entry in item (h) of column(5) in whose cases income/loss as per latest return of income is above Rs. 20 lakhs. (g)all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in corresponding entry in item (h) of column (5).
2	Income Tax officer -3 (1), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'N' in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation,	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary and in ...e ase

			Bhopal –Ward Nos 1 to 4	mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
3	Income Tax officer -3(2), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the state of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)	(a) all cases of companies mentioned in item (a) of column (5) whose names begin with the alphabet 'O' in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos . 5 to 7	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
4	Income Tax Officer-3(3), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a) A person being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or	(a) All cases of companies mentikoned in item (a) of column (5) whose names being with the alphabet 'P' & 'Q' in whose cases income/ loss as per latest return of income in upto

				principal place of business in the area mentioned in item (a) of column (4) (b) persons being individuals referred to in item (c) of column (6.)	Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above.
			(b) District of Bhopal (i) Following Municipal Wards of Bhopal Municipal Corporation, Bhopal –Ward Nos 8 to 12.	(c) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4).	(c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (c) and (d) of column (5) other than those whose principal source of income is from Salary in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
5	Income Tax officer -3(4), Bhopal	Bhopal, Madhya Pradesh	In the State of Madhya Pradesh (a) District of Bhopal	(a)Persons being individuals deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (a) of column(4);	(a) All cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from "salary" and who are (i) employees or pensioners of Central Government in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs. (ii) Persons not falling under the jurisdiction of Principal Commissioner/Commissioner of Income Tax, Bhopal-I, in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs
6	Income Tax officer -Sehore	Sehore, Madhya Pradesh	(a) In the state of Madhya Pradesh District	(a) Persons other than companies deriving income from sources	(a) all cases of companies referred to in corresponding entry in

			of Sehore	other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in column (4). (b) Persons other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business or profession is within the territorial areas mentioned in column (4). (c) Persons being companies registered under the Companies Act, 2013 or under the Companies Act, 1956 and having its registered office or principal place of business in Betul District. (d) persons being individuals referred to in item (b) of column (6.)	item (c) of column (5) in whose cases income/loss as per latest return of income is upto Rs. 20 lakhs. (b) all cases of individuals being managing director or director or manager or secretary in the companies referred to in item (a) of column (6) above. (c) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (b) of column (5) in whose case income/loss as per latest return of income is upto Rs. 15 lakhs. (d) all cases of persons referred to in corresponding entry in item (a) of column (5) whose principal source of income is from salary in whose case income returned as per latest return of income is upto Rs. 15 lakh.

Explanation—

For the purposes of this notification—

(i) "Residing" means,—

(a) in the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this Notification ;

(b) In the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta; and

(c) In the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies the place where the head office is located.

(ii) In case of companies whose names begin with any of the numericals (hereinafter "numeric companies"), the Assessing Officers who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and performs the functions in respect of those numeric companies.

(iii) If a person is a director or managing director and also a partner in one or more firms falling within the jurisdiction of different AO's the AO having jurisdiction overthe director or managing director4s of the company will have jurisdiction over such persons.

(iv) The AO holding jurisdiction over a firm shall also hold jurisdiction over its partners irrespective of area of residence and where such partner(s) is/are or was/were partner/partners in more than one firm, the AO who appears first in this notification conferring jurisdiction over the firm shall hold jurisdiction over all such partners.

(v) The word 'person' shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (31) of Section-2 of Income-tax Act, 1961.

(vi) Municipal Ward Numbers of Bhopal Municipal Corporation referred to in Schedule-1 of this Notification are as per Notification No. 3222/sa.2/09 dated 17th July, 2009 published in the Gazette (Extraordinary) of Govt. of Madhya Pradesh.

NEERAJA PRADHAN, Addl. Commissioner.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय,कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 19 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्र. क्र. 11-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 27/एल. ए.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा तरफ कुन्बी.	0.351	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर.	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 12-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 26/एल. ए.-2016.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्रं. इन्दौर/डब्ल्यू/335/4, दिनांक 17-2-2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	81	खण्डवा तरफ माली.	1.494	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 13-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 25/एल. ए.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013" की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	मालीपुरा	7.37	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर.	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 14-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 24/एल. ए.-2016.—उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर द्वारा पत्र क्रं. इन्दौर/डब्ल्यू/335/4, दिनांक 17 फरवरी 2016 प्रस्तुत कर खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" (क्र. 30 सन् 2013) के अध्याय 2(अ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णत: लोकहित से संबंधित होने के कारण म. प्र. शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1)/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं डॉ. एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म. प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2(अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूं:—

स. क्र.	जिला	तहसील	प.ह.न.	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे. में.	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	खण्डवा	खण्डवा	79	बडगांव भीला.	4.22	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

नोट:—उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

2. उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 15-अ-82-2015-16-नस्ती क्र. 28/एल. ए.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता

है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: ''भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013'' की धारा 11 (1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारिण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	नागचून	7.82	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर.	खण्डवा सनावद के मध्य आमान परिवर्तन के साथ अजंटी से मथेला के बीच न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य हेतु.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4325-जि.भू.अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयेग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22(ए)/101/2013/एमपीएस/31/2263, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन की प्रशासकीय पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना जो कि, राज्य शासन का महत्वकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40

के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की आत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयेजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बंडोल.	ग्राम-हथनापुर ब. न.-597 प.ह.नं.-08	रकबा 2.00 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा से निकलने वाली मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उलेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni. nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 6 चौरई के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 1260-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	घोरहा 163	4.000	कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1262-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	घोरहा बांध 164.	3.000	कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1264-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	महुली	3.225	कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 1266-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्यौंथर	रामपुर कोठार	1.900	कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्यौंथर बहाव योजना के अंतर्गत मुख्य/माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तियां के अर्जन हेतु.

क्र. 1270-प्रशा.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि उक्त माइनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	कुसमैदा नानकार 73	0.228	कार्यपालन यंत्री, त्यौंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर जिला रीवा.	त्यौंथर बहाव नहर अंतर्गत चिल्ला शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 27 अप्रैल 2016

क्र. 128-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	पिण्डरा	14.887	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना, जिला सतना (म. प्र.).	कुरी-2 बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 129-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मझगवां	कूंड़ी	3.747	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग सतना, जिला सतना (म. प्र.).	कुरी-2 बांध योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 077-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों

को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	तुर्कीताल	निजी भूमि रकबा 7.413 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.875 है. कुल रकबा 8.288 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	सिमरी तालाब योजना अन्तर्गत बेस्ट वियर, स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 078-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	गुनौर	सुपन्था	निजी भूमि रकबा 5.425 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.563 है. कुल रकबा 6.988 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	श्यामरडाडा तालाब योजना अन्तर्गत बेस्ट वियर स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र.-भू-अर्जन-10(अ-82)2015-2016-1171.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—संग्रामपुर, प.ह.नं. 31, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
86	0.33
134	0.14
138	0.03
कुल योग निजी भूमि. .	0.50
शासकीय भूमि . .	0.00
सकल योग . .	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-11(अ-82)2015-2016-1173.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—सूरजपुरा, प.ह.नं. 43, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.760 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
223	0.20
217	0.20
216	0.18
114	0.18
कुल योग निजी भूमि. .	0.76
शासकीय भूमि . .	0.00
सकल योग . .	0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-12(अ-82)2015-2016-1169.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई

परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—पिपराडी, प.ह.नं. 43, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.280 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
101	0.09
100	0.10
98	0.20
93	0.15
95	0.04
89/2	0.23
129	0.06
120/2	0.02
126/1	0.08
141	0.03
142	0.30
126/2	0.08
330/1	0.19
330/2	0.14
330/3	0.19
330/4	0.10
117	0.11
128	0.09
104/3	0.08
101	0.09
100	0.10
98	0.20
कुल योग निजी भूमि. .	2.28
शासकीय भूमि . .	0.00
सकल योग . .	2.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-13(अ-82)2015-2016-1172.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—अमठेरा, प.ह.नं. 16/38, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.410 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/2	0.31
14/3	0.10
कुल योग निजी भूमि. .	0.41
शासकीय भूमि . .	0.00
सकल योग . .	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-14(अ-82)2015-2016-1170.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—बरंगांव, प.ह.नं. 41, रा.नि.म. शहपुरा.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.320 हेक्टेयर.

खसरा नं.	भू-अर्जन प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1424	0.32
कुल योग निजी भूमि. .	0.32
शासकीय भूमि . .	0.00
सकल योग . .	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 अप्रैल 2016

पत्र क्र. 1130-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—पुरवा

(घ) क्षेत्रफल—0.086 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
(अ) निजी पट्टे की भूमि		
22/1/क		-
22/1/ख	0.029	
22/1/ग		-
22/2	0.048	
226	0.009	-
योग . .	0.086	-
(ब) शासकीय भूमि	निरंक	
महायोग . .	0.086	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर की माइनर क्र. 4 के निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1132-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—कपुरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.982 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
9	0.012
17	0.077

(1)	(2)
19	0.006
27	0.012
28	0.016
30	0.039
31	0.067
32	0.066
33	0.048
34	0.035
39	0.056
72	0.004
73	0.010
75	0.022
441	0.024
443	0.036
456	0.123
457	0.145
458	0.079
459	0.092
460	0.112
489	0.087
492	0.073
510	0.029
513	0.008
515	0.274
516	0.091
547	0.098
548	0.053
549	0.033
550	0.038
551	0.030
597	0.044
27/605	0.016
योग . .	1.974
ब-शासकीय भूमि	
442	0.008
अ + ब का योग . .	1.982

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "क्योटी नहर की लौआ माइनर नं. 1 की सब माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1134-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—मनकहरी
(घ) क्षेत्रफल लगभग —1.489 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
859	0.003
860	0.041
861	0.038
862/1	0.129
863	0.048
864	0.101
866	0.032
872	0.002
873	0.215
889	0.073
890	0.097
902	0.048
903	0.012
904	0.068
922	0.004
940	0.096
956	0.035
957	0.014
958	0.123
959	0.084
961	0.023
971	0.058
973	0.029
974	0.002
988	0.002

(1)	(2)
1037	0.080
1044	0.002
1045	0.004
1046	0.007
योग . .	1.470
ब-शासकीय भूमि	
926	0.019
अ + ब का योग . .	1.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "क्योटी नहर की मनकहरी माइनर की सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1136-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—लौआ

(घ) क्षेत्रफल लगभग —0.248 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
642	0.003
643	0.022
644	0.142
652/2क/1	0.065
661	0.016
योग . .	0.248
ब-शासकीय भूमि	
निरंक	निरंक
अ + ब का योग . .	0.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "क्योटी नहर की लौआ माइनर नं. 1 की सब-माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

घोषणा का सार

(अन्तर्गत धारा 19 भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013)

सिवनी, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 4315-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— कोहका, ब. नं.-82, प.ह.न.-119 रा. नि. म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.93 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
183/1	0.01
183/2	0.05
184/1	0.22
181/1	0.01
24	0.23
39	0.01
37	0.08
28	0.03
22	0.25
योग-(अ) . .	0.89

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
185	0.04
योग-(ब) . .	0.04
योग-(अ)+(ब) . .	0.93

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 6-L, 7-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4324-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— सिमरिया, ब. नं.-567, प.ह.न.-99 रा. नि. म. सिवनी भाग-2.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.38 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
258	0.05
261	0.29
292	0.32
263	0.37
294	0.40
296	0.03
297	0.02
298	0.04
300	0.03
287/2	0.26
301/1	0.05

(1)	(2)
301/2	0.15
301/4	0.04
172/1 172/2	0.19
योग-(अ) . .	2.24

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
259	0.05
151/3	0.09
योग-(ब) . .	0.14
योग-(अ)+(ब) . .	2.38

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4329-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— चारगांव, ब. नं.-165, प.ह.न.-118 रा. नि. म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.80 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
34	0.04
40	0.09
38	0.04
39	0.06
61/1	0.11
61/2	0.06
134/2	0.02
134/1	0.14
305	0.12
304	0.12
317	0.01
318	0.14
319/1	0.18
319/2	0.12
331/1	0.06
11	0.05
10	0.13
9	0.11
8	0.08
योग-(अ) . .	1.68

(1) (2)

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
36	0.03
308	0.02
300	0.02
320	0.02
365	0.03
योग-(ब)	. . 0.12
योग-(अ)+(ब)	. . 1.80

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 14-L, 15-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4339-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— मंड़वा, ब. नं.-469, प.ह.न.-15 रा. नि. म. बंड़ोल.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
178	0.06
योग-(अ)	. . 0.06

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
0	00
योग-(ब)	. . 0.00
योग-(अ)+(ब)	. . 0.06

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली D-1 माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4343-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— सिमरिया, ब. नं.-567, प.ह.न.-99 रा. नि. म. सिवनी भाग-2.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.90 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
172/1, 172/2	1.05
167	0.68
170	0.43
164/1	0.96
164/2	0.01
165	0.15
156	0.77
155	0.59
163	0.02
157/2	0.01
168	0.01
26/1	0.23
26/2	0.42
40/5	0.17
40/2	0.35
40/4	0.55
43/2, 42/8	0.16
42/7, 43/1	0.17
44, 42/6, 45/2	0.40
45/1	0.13
62	0.58
61/2	0.02
60	1.11
63	0.03
78/2	0.07
79	0.34
80	0.12
73	0.34
74/1	0.26
योग-(अ) . .	10.13

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
171	0.01
34	0.06
46	0.05
47/2	0.04
47/1	0.04
57	0.13
81	0.04
76	0.40
–	–
–	–
योग-(ब) . .	0.77
योग-(अ)+(ब) . .	10.90

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4348-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— भंड़ारपुर, ब. नं.-462, प.ह.न.-126 रा. नि. म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.63 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
90/1	0.01
90/5	0.05
89/2	0.07
140	0.35
141	0.03
152	0.09
योग-(अ) . .	0.60

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
154	0.03
योग-(ब) . .	0.03
योग-(अ)+(ब) . .	0.63

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 21-L माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4349-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— परतापुर, ब. नं.-320, प.ह.न.-115 रा. नि. म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
37/1	0.02
42	0.05
46/2	0.01
योग-(अ)	0.08

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
0	0.00
योग-(ब)	0.00
योग-(अ)+(ब)	0.08

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4350-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— पलारी, ब. नं.-329, प.ह.न.-129 रा. नि. म. सिवनी भाग-1.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.04 हेक्टेयर एवं अर्जित क्षेत्रफल पर आने वाली परिसंपत्तियां.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
105/2	0.07
102/1	0.06
102/2	0.04
102/3	0.06
97/2	0.27

(1)	(2)
97/1	0.04
94	
129/1, 129/2, 131, 132, 133/2, 135/2, 136/2, 137/2	0.22
92/4	0.19
40/1	0.05
योग-(अ) . .	1.00

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
93	0.04
योग-(ब) . .	0.04
योग-(अ)+(ब) . .	1.04

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली 23-L के माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी एवं शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.seoni.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 4365-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— औरियामाल, प.ह.न.-02

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—0.58 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
50/1	0.15
50/2	0.01
44/2	0.05
51/2	0.19
43/2	0.10
43/1	0.03
42/1	0.05
योग . .	0.58

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
172	0.04
37	0.02
58	0.02
योग. .	0.08
योग-(अ)+(ब) . .	0.64

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4368-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम— पिपरीया, प.ह.न.-01, ब. नं. 337.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—3.90 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल.

(अ) निजी भूमि का विवरण

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
123/1	0.19
120/3	0.06
123/3	0.05
120/4	0.20
120/1	0.07
120/5	0.24
118	0.21
115/3	0.32
94	0.28
93	0.19
167/1	0.28
166	0.19
179/5	0.02
146/1	0.12
154/1	0.06
154/2	0.10
155/11	0.09
155/10	0.13
155/9	0.03
155/8	0.02
155/7	0.01
156	0.15
157/1	0.07
157/5	0.10
157/7	0.15
160/1	0.20
161/3	0.16
121/1	0.01
163/3	0.13
163/1	0.06
187/1	0.01
योग . .	3.90

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
97	0.02
124	0.02
128	0.02
164	0.02
159/1	0.04
163/2	0.04
योग. .	0.14
योग-(अ)+(ब) . .	4.04

(2) अर्जित की जाने वाली भूमि उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 4372-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—तिघरा, प.ह.न.-32
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
242/1	0.02
242/2	0.01
238/5	0.01
238/2	0.05
कुल योग . .	0.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4373-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—कुआखेड़ा, प.ह.न.-32
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.37 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.18
5	0.08
2/2	0.06
2/3	0.06
2/5	0.03
120	0.15
134	0.22
135	0.05
130	0.04
129	0.11
4	0.20
125	0.10
119	0.07
2/1	0.01
3	0.01
कुल योग . .	1.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4375-जि. भू. अ.-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) ग्राम—रैपुरा, प.ह.न.-44
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.74 हे.

अशासकीय भूमि का रकबा

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
185/1	0.09
198	0.04
199/1	0.16
199/2	0.05
235/1	0.16

(1)	(2)
203/1	0.08
234/2	0.01
234/1	0.06
कुल योग . .	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.—अपर तिलवारा बांयी तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 4376-भू.-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि एवं शासकीय भूमि तथा स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—जैतपुरखुर्द, प.ह.न.-17, ब. नं.-217.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित—0.65 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
206	0.06
205	0.07
212	0.22
234	0.23
169	0.07
कुल योग . .	0.65

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
233	0.15

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बखारी शाखा माइनर एवं वितरक नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व तहसील-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनराजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. 3109-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-हरनाखेड़ी
ब.नं. 306, प.ह.न. 36/18,
रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 01.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
313, 314	0.087
305/3-4	0.032

(1)	(2)
305/1	0.080
305/6, 315	0.014
305/5	0.006
331	0.036
293/2	0.023
296/3, 298	0.093
297/2	0.026
296/1	0.016
296/4	0.016
295/1	0.026
295/3	0.023
294/1	0.042
293/1, 294/2	0.032
189/4	0.030
221/1	0.330
217/7	0.120
218/2, 217/4, 218/8	0.130
153/2	0.035
154/2, 153/4, 154/4	0.160
146	0.080
145	0.002
24/1	0.048
24/3	0.032
24/2	0.080
31/1, 32/1	0.020
30	0.013
29	0.048
27, 28	0.032
43/2, 44/2, 45/3	0.032
187/1	0.052
185/1, 186/1	0.048
181, 182, 183	0.100
योग . .	01.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3110-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चांद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-तिघराचंपत
ब.नं. 116, प.ह.न. 29,
रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
52/2	0.074
52/1	0.035
54/4	0.038

(1)	(2)
56/6	0.032
55/2	0.026
53	0.013
56/4-8	0.096
56/2	0.042
56/5	0.055
56/9	0.030
61/7, 62/5	0.029
56/3-7	0.056
61/5, 62/3 क	0.032
61/1	0.112
61/16, 62/7	0.071
99	0.084
98	0.135
70/1	0.128
योग . .	01.088 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3111-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चाँद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चिखलीखुर्द
ब.नं. 86, प.ह.न. 29/17,
रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 01.549 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
202/1	0.104
203/1	0.026
203/2	0.071
204	0.022
205/1	0.093
205/2	0.006
193/2	0.077
209/1	0.042
208/2	0.026
208/1	0.029
207/1	0.016
207/2	0.013
207/3	0.025
272/1	0.020
32/4	0.013
29/1-2	0.058
32/6	0.019
32/7	0.064
17/1, 18/1, 19/1, 19/3	0.073
17/4, 18/4, 19/5	0.095
17/3, 18/3, 19/4	0.101

(1)	(2)
360/1	0.036
359/1	0.235
372/2	0.106
374/1-4	0.056
381/2,379	0.067
399/2ख, 399/4	0.016
399/6	0.040
योग . .	01.549 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3112-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चाँद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरीरानी
ब.नं. 56, प.ह.न. 36
रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 01.577 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
23	0.103
24/5	0.107
40, 43	0.192
56, 57/2	0.056
57/1, 58	0.061
61, 62/1-2-3, 63, 64/1-2-3-4	0.126
91/6	0.014
260/1	0.030
260/2	0.168
263/2	0.005
265/1	0.048
265/2	0.096
266/3	0.010
265/3	0.045
265/4	0.048
276/3	0.009
276/4	0.058
277/3	0.033
277/1	0.047
277/2	0.039
278/1	0.099
282/1, 283/1क	0.016
282/2, 283/1ख	0.060
162, 166	0.092
163	0.008

(1)	(2)	
286/1	0.007	
योग . .	01.577	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 3113-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चाँद

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कौआखेड़ा
ब.नं. 18, प.ह.न. 36
रा.नि.मंडल-चांद.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल.— 01.381 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	
22/4, 21/3	0.048	
22/3, 23/1	0.064	
30	0.096	
256/1	0.064	
31	0.050	
32	0.035	
33	0.016	
213/6	0.036	
34, 35	0.019	
213/8	0.052	
213/3	0.077	
213/4, 213/2	0.262	
213/1	0.160	
172/2	0.020	
3	0.074	
2	0.002	
8/1, 9/1	0.185	
16/1	0.023	
16/2	0.026	
15/1, 15/3	0.052	
13/1	0.020	
योग . .	01.381	हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत धमनिया वितरक नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 1, चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2016

प्र. क्र. 168-अ-82-वर्ष 2014-15.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अजयगढ़

(ग) ग्राम—विश्रामगंज, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल—227.93 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
308/1	0.21	निजी भूमि
308/3	0.21	निजी भूमि
308/5	0.21	निजी भूमि
314/2	0.16	निजी भूमि
317/2	0.11	निजी भूमि
320	0.39	निजी भूमि
321/3	0.38	निजी भूमि
47/2	0.31	निजी भूमि
296	0.34	निजी भूमि
308/2	0.21	निजी भूमि
308/4	0.21	निजी भूमि
308/6	0.21	निजी भूमि
314/1	0.15	निजी भूमि
317/1	0.11	निजी भूमि
321/1	0.29	निजी भूमि
321/2	0.29	निजी भूमि
321/4	0.21	निजी भूमि
219	0.63	निजी भूमि
376	0.77	निजी भूमि
380	1.23	निजी भूमि
455/2घ	1.40	निजी भूमि
149/2क	0.80	निजी भूमि
149/2ग	0.80	निजी भूमि
411	0.67	निजी भूमि
414	0.34	निजी भूमि
448/2	0.89	निजी भूमि
61/2	0.10	निजी भूमि
101	0.32	निजी भूमि
112	1.05	निजी भूमि
118	0.23	निजी भूमि
120	0.31	निजी भूमि
72	0.66	निजी भूमि
392	0.49	निजी भूमि
50	1.16	निजी भूमि
104	0.97	निजी भूमि
66	0.93	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
387/3	0.01	निजी भूमि	98/1	0.92	निजी भूमि
433/3	0.08	निजी भूमि	36	0.33	निजी भूमि
387/2	0.20	निजी भूमि	192	0.45	निजी भूमि
433/2	0.08	निजी भूमि	16	0.30	निजी भूमि
12	0.45	निजी भूमि	390	0.40	निजी भूमि
79/1	0.81	निजी भूमि	357/2	0.60	निजी भूमि
312	0.18	निजी भूमि	114/2	0.66	निजी भूमि
94	0.20	निजी भूमि	300/3	0.39	निजी भूमि
95	0.21	निजी भूमि	79/2	0.80	निजी भूमि
170	0.86	निजी भूमि	126	0.27	निजी भूमि
171	0.25	निजी भूमि	131/3	0.06	निजी भूमि
172/2	0.70	निजी भूमि	133	0.52	निजी भूमि
174/1	0.20	निजी भूमि	35	1.22	निजी भूमि
161	0.35	निजी भूमि	191	0.44	निजी भूमि
165	1.17	निजी भूमि	354	0.17	निजी भूमि
168/2	0.43	निजी भूमि	205	0.49	निजी भूमि
372/2	1.16	निजी भूमि	235	0.54	निजी भूमि
377	0.16	निजी भूमि	60	0.41	निजी भूमि
418	0.09	निजी भूमि	62/2	0.40	निजी भूमि
419	0.37	निजी भूमि	59	0.60	निजी भूमि
421	0.19	निजी भूमि	223	1.43	निजी भूमि
119	0.22	निजी भूमि	209	0.93	निजी भूमि
128	0.35	निजी भूमि	262	0.04	निजी भूमि
395	0.52	निजी भूमि	363/1ख/क	0.32	निजी भूमि
396	0.43	निजी भूमि	47/3	0.31	निजी भूमि
110	0.54	निजी भूमि	347	0.22	निजी भूमि
233	0.19	निजी भूमि	464/290	0.24	निजी भूमि
237	0.35	निजी भूमि	30/2	0.63	निजी भूमि
342	0.04	निजी भूमि	74/2	0.08	निजी भूमि
344	1.23	निजी भूमि	443	1.16	निजी भूमि
26/1	0.49	निजी भूमि	157	1.03	निजी भूमि
38/1	0.18	निजी भूमि	158	0.13	निजी भूमि
46	0.64	निजी भूमि	200	1.00	निजी भूमि
107	0.72	निजी भूमि	236	0.50	निजी भूमि
375	0.73	निजी भूमि	260	0.90	निजी भूमि
20/1	0.12	निजी भूमि	111	1.59	निजी भूमि
24	0.40	निजी भूमि	361	0.42	निजी भूमि
138	1.11	निजी भूमि	125	0.04	निजी भूमि
455/2ग	1.40	निजी भूमि	17/2	0.14	निजी भूमि
456/1	2.00	निजी भूमि	19	1.86	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
325	0.75	निजी भूमि
327	0.21	निजी भूमि
326/1	0.15	निजी भूमि
393	0.20	निजी भूमि
429	0.30	निजी भूमि
102/2	1.07	निजी भूमि
106	0.67	निजी भूमि
105	0.80	निजी भूमि
448/1	2.00	निजी भूमि
51	0.36	निजी भूमि
135	1.14	निजी भूमि
136/2	0.37	निजी भूमि
372/1	0.39	निजी भूमि
130	0.17	निजी भूमि
131/2	0.09	निजी भूमि
383	0.40	निजी भूमि
355	0.13	निजी भूमि
360	1.01	निजी भूमि
29	1.19	निजी भूमि
78	0.04	निजी भूमि
140	1.08	निजी भूमि
127	0.23	निजी भूमि
378/1	0.48	निजी भूमि
378/2	0.49	निजी भूमि
391	0.41	निजी भूमि
442	0.54	निजी भूमि
13	0.32	निजी भूमि
315	0.19	निजी भूमि
458/393	0.20	निजी भूमि
461/429	0.30	निजी भूमि
291	0.18	निजी भूमि
293	0.31	निजी भूमि
324	0.15	निजी भूमि
455/2ख	1.40	निजी भूमि
30/3	0.62	निजी भूमि
74/3	0.09	निजी भूमि
143	0.44	निजी भूमि
357/1	0.15	निजी भूमि
30/1	0.63	निजी भूमि
74/1	0.08	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
416	0.44	निजी भूमि
326/1	0.15	निजी भूमि
174/2	2.00	निजी भूमि
142	0.71	निजी भूमि
353	0.90	निजी भूमि
356	0.27	निजी भूमि
55	0.36	निजी भूमि
26/2	0.49	निजी भूमि
38/2	0.18	निजी भूमि
459/393	0.20	निजी भूमि
462/429	0.25	निजी भूमि
69	1.14	निजी भूमि
193	0.44	निजी भूमि
305	0.48	निजी भूमि
307	0.29	निजी भूमि
311	1.06	निजी भूमि
420	0.14	निजी भूमि
460/393	0.20	निजी भूमि
463/429	0.40	निजी भूमि
116	0.96	निजी भूमि
210/1	0.20	निजी भूमि
298	0.31	निजी भूमि
252	0.58	निजी भूमि
253	0.58	निजी भूमि
222	0.03	निजी भूमि
226	1.43	निजी भूमि
263/1/2ख	0.32	निजी भूमि
446	0.82	निजी भूमि
62/1	0.75	निजी भूमि
267	0.14	निजी भूमि
272	0.84	निजी भूमि
20/2	0.94	निजी भूमि
139	0.80	निजी भूमि
438/2	0.79	निजी भूमि
379	0.73	निजी भूमि
417	0.95	निजी भूमि
47/1	0.30	निजी भूमि
239	0.39	निजी भूमि
294	0.46	निजी भूमि
318	0.53	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
102/1	1.07	निजी भूमि	440	1.05	निजी भूमि
455/2क	1.60	निजी भूमि	398/2	1.04	निजी भूमि
146	0.91	निजी भूमि	434	1.80	निजी भूमि
134/1	0.56	निजी भूमि	45	0.58	निजी भूमि
303	1.50	निजी भूमि	385	1.25	निजी भूमि
337/2	1.57	निजी भूमि	99	0.89	निजी भूमि
343	0.32	निजी भूमि	114/1	0.20	निजी भूमि
278	0.13	निजी भूमि	121	1.19	निजी भूमि
279/1	1.64	निजी भूमि	300/1	0.39	निजी भूमि
204	0.12	निजी भूमि	227	0.05	निजी भूमि
210/2	0.60	निजी भूमि	229	1.44	निजी भूमि
114/3	0.65	निजी भूमि	242	0.15	निजी भूमि
300/2	0.80	निजी भूमि	254	0.06	निजी भूमि
309	0.31	निजी भूमि	256	1.55	निजी भूमि
438/1	0.78	निजी भूमि	285	0.03	निजी भूमि
446	0.82	निजी भूमि	286	1.50	निजी भूमि
126	0.27	निजी भूमि	288	1.00	निजी भूमि
131/3	0.06	निजी भूमि	40	0.52	निजी भूमि
133	0.52	निजी भूमि	41	1.74	निजी भूमि
292	0.16	निजी भूमि	64	0.04	निजी भूमि
295	0.76	निजी भूमि	202	1.63	निजी भूमि
297	0.38	निजी भूमि	203	0.47	निजी भूमि
319	0.46	निजी भूमि	211	0.04	निजी भूमि
323	0.34	निजी भूमि	263/1क	0.64	निजी भूमि
326/2	0.46	निजी भूमि	302	0.92	निजी भूमि
225	0.04	निजी भूमि	348	2.86	निजी भूमि
228	1.44	निजी भूमि	251	0.62	निजी भूमि
241	0.14	निजी भूमि	259	1.14	निजी भूमि
255	0.05	निजी भूमि	313	0.31	निजी भूमि
257	1.55	निजी भूमि	334	1.36	निजी भूमि
287	1.51	निजी भूमि	386/2	0.51	निजी भूमि
289	1.01	निजी भूमि	182/1	0.13	निजी भूमि
206	1.18	निजी भूमि	249	0.14	निजी भूमि
264	0.11	निजी भूमि	250	1.62	निजी भूमि
337/1क	1.00	निजी भूमि	280	0.09	निजी भूमि
370/1	0.01	निजी भूमि	281	0.52	निजी भूमि
370/2	0.35	निजी भूमि	275	1.70	निजी भूमि
370/3	0.35	निजी भूमि	149/1	1.77	निजी भूमि
370/4	0.35	निजी भूमि	263/1/ग	0.64	निजी भूमि
370/5	0.34	निजी भूमि	237/1/क	2.00	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
79/1	0.81	निजी भूमि	197	0.20	निजी भूमि
397	0.61	निजी भूमि	201	0.24	निजी भूमि
398/1	0.42	निजी भूमि	189	0.10	निजी भूमि
403	1.15	निजी भूमि	190	1.14	निजी भूमि
42	0.03	निजी भूमि	194	0.18	निजी भूमि
43	1.37	निजी भूमि	215	1.04	निजी भूमि
44	0.44	निजी भूमि	216	1.96	निजी भूमि
65	0.34	निजी भूमि	217	0.46	निजी भूमि
362	0.68	निजी भूमि	238	0.71	निजी भूमि
366	2.34	निजी भूमि	279/2	0.38	निजी भूमि
49	1.52	निजी भूमि	96	0.40	निजी भूमि
54	0.13	निजी भूमि	282	0.26	निजी भूमि
58	0.44	निजी भूमि	283	0.09	निजी भूमि
103	0.76	निजी भूमि	284	1.70	निजी भूमि
6	1.50	निजी भूमि	457/258	0.98	निजी भूमि
7	0.33	निजी भूमि	230	1.69	निजी भूमि
8	1.87	निजी भूमि	231	0.04	निजी भूमि
9	0.54	निजी भूमि	258	1.06	निजी भूमि
232	0.85	निजी भूमि	268	0.06	निजी भूमि
234	0.02	निजी भूमि	265	0.48	निजी भूमि
243	0.32	निजी भूमि	266	0.04	निजी भूमि
244	0.09	निजी भूमि	335	0.06	निजी भूमि
245/1	1.49	निजी भूमि	147/2	1.58	निजी भूमि
247	0.12	निजी भूमि	160/2	0.38	निजी भूमि
248	2.20	निजी भूमि	207/2	0.67	निजी भूमि
270	0.05	निजी भूमि	240/2	0.46	निजी भूमि
271	0.16	निजी भूमि	261/2	0.25	निजी भूमि
276	0.05	निजी भूमि	269/2	0.10	निजी भूमि
277	1.96	निजी भूमि	76	0.68	निजी भूमि
306	0.47	निजी भूमि	87	0.68	निजी भूमि
113	1.51	निजी भूमि	90	0.84	निजी भूमि
330/3	0.51	निजी भूमि	91	0.10	निजी भूमि
409/3	0.09	निजी भूमि	151	0.54	निजी भूमि
424/3	0.43	निजी भूमि	218	0.47	निजी भूमि
426/3	0.18	निजी भूमि	384	0.80	निजी भूमि
430/3	0.15	निजी भूमि	182/1	0.13	निजी भूमि
449/3	0.20	निजी भूमि	147/1	1.57	निजी भूमि
316	0.55	निजी भूमि	159	0.06	निजी भूमि
195	1.50	निजी भूमि	160/1	0.32	निजी भूमि
196	0.01	निजी भूमि	207/1	0.67	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
240/1	0.47	निजी भूमि
261/1	0.26	निजी भूमि
269/1	0.10	निजी भूमि
149/3	0.36	निजी भूमि
150	0.21	निजी भूमि
156	0.16	निजी भूमि
162	0.53	निजी भूमि
208	0.43	निजी भूमि
263/1घ	0.61	निजी भूमि
301	0.61	निजी भूमि
337/1ख	0.99	निजी भूमि
212	0.81	निजी भूमि
299	0.31	निजी भूमि
63/1	0.55	निजी भूमि
63/2	0.56	निजी भूमि
153	0.24	निजी भूमि
154	0.06	निजी भूमि
155	0.15	निजी भूमि
15	0.36	निजी भूमि
21	0.08	निजी भूमि
92	0.36	निजी भूमि
182/1	0.13	निजी भूमि
220	0.70	निजी भूमि
229	0.65	निजी भूमि
369/1	0.21	निजी भूमि
386/3	0.29	निजी भूमि
369/2	0.10	निजी भूमि
386/1	0.40	निजी भूमि
386/2	0.50	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	227.93	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 050-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—बराछ, प.ह.नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.360 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
150	1.190	निजी भूमि
148	0.050	निजी भूमि
176/1	1.130	निजी भूमि
177/1	0.350	निजी भूमि
176/2	1.700	निजी भूमि
176/3	1.130	निजी भूमि
176/4	1.690	निजी भूमि
177/4	0.520	निजी भूमि
155/2	0.930	निजी भूमि
155/3	0.930	निजी भूमि
155/4	0.150	निजी भूमि
153	0.850	निजी भूमि
177/2	0.530	निजी भूमि
177/3	0.360	निजी भूमि
168	0.810	निजी भूमि
2893	0.200	निजी भूमि
2892	0.250	निजी भूमि
169	0.340	निजी भूमि
170	0.410	निजी भूमि
167	0.200	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
171	0.350	निजी भूमि
172	0.270	निजी भूमि
166	0.050	निजी भूमि
215/1	0.990	निजी भूमि
119	0.220	निजी भूमि
120	0.200	निजी भूमि
121	0.160	निजी भूमि
122	0.150	निजी भूमि
124	0.080	निजी भूमि
123/1	0.090	निजी भूमि
216	1.020	निजी भूमि
212/1	0.240	निजी भूमि
212/2	0.240	निजी भूमि
214	1.000	निजी भूमि
2827	0.120	निजी भूमि
2832	0.120	निजी भूमि
2833	0.010	निजी भूमि
3006	0.010	निजी भूमि
2770	0.090	निजी भूमि
2769	0.100	निजी भूमि
2768	0.100	निजी भूमि
2767	0.050	निजी भूमि
2876	0.110	निजी भूमि
2875	0.100	निजी भूमि
2886	0.040	निजी भूमि
2885	0.030	निजी भूमि
2883/1	0.010	निजी भूमि
2883/2	0.010	निजी भूमि
2883/3	0.010	निजी भूमि
2883/4	0.010	निजी भूमि
2871/1	0.050	निजी भूमि
2871/2	0.050	निजी भूमि
2870	0.320	निजी भूमि
2868	0.200	निजी भूमि
2994	0.080	निजी भूमि
3005	0.170	निजी भूमि
3007	0.110	निजी भूमि
3017	0.110	निजी भूमि
3035/1	0.070	निजी भूमि
3036	0.030	निजी भूमि
3035/2	0.070	निजी भूमि
3043	0.030	निजी भूमि
3042	0.030	निजी भूमि
3049	0.100	निजी भूमि
3047	0.010	निजी भूमि
3048	0.080	निजी भूमि
3068	0.020	निजी भूमि
3060	0.080	निजी भूमि
3061	0.100	निजी भूमि
3195/1	0.030	निजी भूमि
3195/2	0.030	निजी भूमि
3193	0.050	निजी भूमि
3188	0.050	निजी भूमि
3186	0.030	निजी भूमि
3148	0.200	निजी भूमि
3146	0.140	निजी भूमि
3145	0.110	निजी भूमि
3136	0.110	निजी भूमि
3135	0.090	निजी भूमि
3132	0.060	निजी भूमि
3059	0.010	निजी भूमि
3187	0.040	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	22.360	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरबीरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण (छूटे हुये रकबे) कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 036-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के

कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—गुनौर

(ग) ग्राम—नयागांव, प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.230 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
21	0.020	निजी भूमि
24	0.030	निजी भूमि
25	0.110	निजी भूमि
22	0.200	निजी भूमि
27	0.030	निजी भूमि
26	0.070	निजी भूमि
28	0.080	निजी भूमि
29	0.010	निजी भूमि
30	0.040	निजी भूमि
31	0.140	निजी भूमि
8	0.050	निजी भूमि
9	0.010	निजी भूमि
35	0.040	निजी भूमि
63/1	0.030	निजी भूमि
85	0.010	निजी भूमि
86	0.090	निजी भूमि
87	0.120	निजी भूमि
89	0.070	निजी भूमि
88	0.010	निजी भूमि
105	0.060	निजी भूमि
108	0.050	निजी भूमि
235	0.010	निजी भूमि
110	0.020	निजी भूमि
107	0.050	निजी भूमि
109	0.080	निजी भूमि
106	0.060	निजी भूमि
236	0.200	निजी भूमि
253	0.020	निजी भूमि
254	0.010	निजी भूमि
255	0.040	निजी भूमि
256	0.030	निजी भूमि
257	0.010	निजी भूमि
258	0.010	निजी भूमि
315	0.020	निजी भूमि
316	0.090	निजी भूमि
460	0.020	निजी भूमि
461	0.100	निजी भूमि
550/1	0.080	निजी भूमि
804/1	0.100	निजी भूमि
805/1	0.150	निजी भूमि
552	0.110	निजी भूमि
562	0.020	निजी भूमि
553	0.040	निजी भूमि
559	0.040	निजी भूमि
560	0.030	निजी भूमि
561	0.010	निजी भूमि
805/2	0.150	निजी भूमि
806	0.030	निजी भूमि
807	0.090	निजी भूमि
808	0.080	निजी भूमि
809	0.080	निजी भूमि
793	0.070	निजी भूमि
885	0.110	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	3.230	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भितरी मुटमुरू तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी गुनौर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 049-अ-82-वर्ष 2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पन्ना
(ग) ग्राम—इटवांकला, प.ह.नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.672 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
326	0.243	निजी भूमि
327	1.773	निजी भूमि
325	0.028	निजी भूमि
324	0.944	निजी भूमि
333	0.024	निजी भूमि
331/2	0.100	निजी भूमि
329/1	0.874	निजी भूमि
329/2/1	0.297	निजी भूमि
328	0.162	निजी भूमि
329/2/2	0.231	निजी भूमि
329/2/3	0.346	निजी भूमि
323/1	0.200	निजी भूमि
323/2	0.415	निजी भूमि
336/1/1	0.236	निजी भूमि
336/1/2	0.237	निजी भूमि
336/2/2	0.158	निजी भूमि
336/2/1	0.158	निजी भूमि
336/2/3	0.158	निजी भूमि
1003/3	0.178	निजी भूमि
330/1	0.774	निजी भूमि
340/1	0.393	निजी भूमि
339/1	0.321	निजी भूमि
330/2	0.092	निजी भूमि
338/1/2	0.100	निजी भूमि
340/2	0.093	निजी भूमि
339/2क	0.285	निजी भूमि
338/1/1	0.100	निजी भूमि
339/2ख	0.569	निजी भूमि
338/2/2	0.200	निजी भूमि
338/2/1	0.660	निजी भूमि
337	0.717	निजी भूमि
335/1	0.322	निजी भूमि
335/2	0.322	निजी भूमि
1004/1	0.700	निजी भूमि
1004/2/1	0.350	निजी भूमि
1004/2/2	0.350	निजी भूमि
1005/1	0.289	निजी भूमि
1005/2	0.500	निजी भूमि
1007	0.324	निजी भूमि
1013/1	0.196	निजी भूमि
1006	0.182	निजी भूमि
1013/2	0.520	निजी भूमि
1012/1	0.676	निजी भूमि
1012/2	0.338	निजी भूमि
1012/3	0.338	निजी भूमि
1011	0.607	निजी भूमि
1010/1	0.692	निजी भूमि
1010/2	0.692	निजी भूमि
1008/1	0.327	निजी भूमि
1008/2	0.326	निजी भूमि
1008/3	0.326	निजी भूमि
1009/1	0.403	निजी भूमि
1009/2	0.410	निजी भूमि
1002	0.250	निजी भूमि
1003/1	0.178	निजी भूमि
1003/2	0.178	निजी भूमि
1014	0.540	निजी भूमि
996/1/2	0.420	निजी भूमि
996/2	0.430	निजी भूमि
1015/1	0.110	निजी भूमि
1015/2	0.110	निजी भूमि
1015/3	0.100	निजी भूमि
1015/4	0.100	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	22.672	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बरबीरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. C-1385-पेंशन-चार-9-4-39-भाग-तीन-डी.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को उनकी अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक (5) में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्र.	नाम	पदनाम एवं पदस्थापना	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति का दिनांक वित्त विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र. 439/3497/75/आर.-एक-चार दि. 16-04-76 के अनुसार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		प्रथम श्रेणी अधिकारी		
1	श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी	डिप्टी रजिस्ट्रार, उ. न्या., म. प्र. जबलपुर.	02-12-1957	31-12-17 अप.
		द्वितीय श्रेणी अधिकारी		
1	कु. शशि प्रभा सिंह	अनु. अधि., उ. न्या., म. प्र. खण्डपीठ-ग्वालियर.	14-02-1957	28-02-17 अप.
2	श्री एस. एल. तिवारी	अनु. अधि., उ. न्या., म. प्र. खण्डपीठ-इंदौर.	08-04-1957	30-04-17 अप.
3	श्री पी. सी. अग्रवाल	अनु. अधि., उ. न्या., म. प्र. जबलपुर.	25-04-1957	30-04-17 अप.
4	कु. सरिता तिवारी	अनु. अधि., उ. न्या., म. प्र. जबलपुर.	18-06-1957	30-06-17 अप.
5	कु. ताप्ती मुकर्जी	अनु. अधि., उ. न्या., म. प्र. जबलपुर.	02-08-1957	31-08-17 अप.
6	श्रीमती मीना दुदानी	अनु. अधि., उ. न्या., म. प्र. जबलपुर.	01-10-1957	30-09-17 अप.
7	श्री एस. के. वर्मा	अनु. अधि., उ. न्या., म. प्र. जबलपुर.	05-12-1957	31-12-17 अप.

Jabalpur, the 20th April 2016

No. B-1735-II-15-50-87 Pt. VII.— Pursuant to the order dated 13th August 2012 passed in the matter of Shramik Adivasi Sangthan Vs. State of M. P. & Others SLP to Appeal Civil No. 15115/2011 directing constitution of District Level Grievance Redresal Authority for district Betul, Harda & Khandwa & in view of the Notification of the State Government, Department's of Home No. 21-225-2011-B(1)-II dated 29th August 2012 Hon'ble the Chief Justice hereby nominates Dr. Anil Pare as Chairperson of District Level Grievance Authority, Harda.

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 465-गोपनीय-2016-दो-3-18-2016.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा श्री आरिफ खान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, खण्डवा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, खण्डवा का नाम सेवा अभिलेख में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है. उनका नाम अब "श्री आरिफ खान पटेल" किया जाता है.

उक्त प्रविष्टि समस्त शासकीय अभिलेखों में की जावे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. B-1641-दो-2-36-2010.—श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 10 एवं 11 मार्च 2016 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 12 से 15 मार्च 2016 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. B-1749-दो-2-59-2013.—श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को दिनांक 27 फरवरी 2016 से 02 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-1751-दो-2-52-2015.—श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 26 से 30 मार्च 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 से 25 मार्च 2016 तक के सार्वजनिक लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुभाष सोलंकी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुभाष सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

क्र. 463-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती संतोषी वासनिक, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी की हैसियत से.
2	श्री आशीष श्रीवास्तव, (सीनियर), द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, सिवनी की हैसियत से.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2016

क्र. B-1644-दो-2-45-2012 .—श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 22 अप्रैल 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 17 अप्रैल 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार (परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (परीक्षा) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 18th April 2016

No. A-1186-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri P. K. Mishra, Special Judge, SC, ST, (POA), Chhindwara to be the Presiding Officer of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the District Headquarter Chhindwara, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of Chhindwara.

No.A-1184-III-6-6-90.—The High Court of Madhya Pradesh issues corrigendum in respect of its following notifications as below;

I. In notification issued by the High Court in respect of designating Courts for trial of cases relating to forest and mining laws, no. 1562, Jabalpur, dated 10th April 2016, the entries in respect of Alirajpur and Dindori, as below:—

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Alirajpur	Vikram Singh Bule, CJM
16.	Dindori	Shri Surendra Kumar Shrivastava, CJM.

be read as;

TABLE

S. No.	Place	Name of the Officer and Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Alirajpur	Shri Vikram Singh Bule, CJM
16.	Dindori	Shri Sandeep Kumar Shrivastava, CJM.

II. Similarly, in notification issued by the High Court in respect of designating Courts for trial of cases relating to offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto, no. 1560, mistakenly written as no. 1660, Jabalpur, dated 10th April 2016 in the 8th line of the paragraph above the table,

the words ' . . . . . .for the Districts shown in Column No. 2 . . . . . .'

be read as ' . . . . . .for the places (District Headquarters) shown in Column No. 2 . . . . . .'

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, O.S.D., (D. E.).

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

क्र. C-1481-III-6-4-05 जबलपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2016

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 2016

का. आ. 372(ब).—धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्याओं का. आ. 841(अ), दिनांक 1 जून 2006, का. आ.

1901 (अ) दिनांक 3 नवम्बर 2006, का. आ. 309(अ), दिनांक 2 मार्च 2007, का आ. 447(अ) दिनांक 11 फरवरी 2009, का आ. 1159 (अ) दिनांक 23 मई, 2012 और का. आ. 1435 (अ) दिनांक 28 जून 2012 का अधिक्रमण करते हुए और संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में यथा उल्लिखित सत्र न्यायालय (न्यायालयों) को उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों के मुकदमों के लिए उक्त न्यायालयों के सामने उक्त तालिका में विनिर्दिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए विशेष न्यायालय (न्यायालयों) के रूप में नामित करती है, अर्थात्:—

तालिका

क्र. सं.	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र	धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विशेष न्यायालय के रूप में नामित सत्र न्यायालय	धन-शोषण निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के मुकदमे के लिए निर्धारित क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
15	मध्यप्रदेश	सत्र न्यायालय, इंदौर.	इंदौर, धार, झाबुआ, खरगौन, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़.
		सत्र न्यायालय, भोपाल.	भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा.
		सत्र न्यायालय, जबलपुर.	जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सतना, कटनी.

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February 2016

S. O. 372(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Prevention of Money Laundering, Act, 2002 (15 of 2003) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue numbers S. O. 841(E) dated the 1st June 2006, S. O. 1901 (E) dated the 3rd November, 2006 S. O. 309(E), dated the 2nd March, 2007, S. O. 447(E), dated the 11th February, 2009 S. O. 1159(E), dated the 23rd May, 2012 and S. O. 1435(E) dated the 28th June, 2012 and in consultation with the Chief Justices of respective High Courts, the Central Government hereby designates the Court(s) of Sessions, as mentioned in table below as Special Court(s) for the area(s) specified in the said Table against the said courts, for trial of offences punishable under section 4 of the said Act, namely:—

TABLE

Sr. No.	State or Union Territory	Court of Session designated as Special Court under the Prevention of Money Laundering Act, 2002	Area Specified for trial of offence punishable under section 4 of the Prevention of Monay Laundering Act, 2002
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Madhya Pradesh.	Sessions Court, Indore.	Indore, Dhar, Jhabua, Khargone, Barwani, Khandwa, Burhanpur, Ujjain, Dewas, Ratlam, Shajapur, Mandsaur, Neemuch, Gwalior, Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Datia, Sheopur, Morena, Bhind, Sagar, Damoh, Panna, Chhatapur, Tikamgarh.
		Sessions Court, Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Rajgarh, Vidisha, Betul, Hoshangabad, Harda.
		Sessions Court, Jabalpur.	Jabalpur, Narsinghpur, Chhindwara, Seoni, Mandla, Dindori, Balaghat, Rewa, Shahdol, Anuppur, Umaria, Sidhi, Satna, Katni.

[F. No.C18015/3/2013/AD.ED]

SANTOSH KUMAR

Under Secretary.

विवेक सक्सेना, ओ.एस.डी., (डी.ई.)

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई 2016

क्र. एफ-15-1-2015-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, निर्देश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कॉलम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील—बेगमगंज **जिला—रायसेन**

क्र.	ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	01. मूल ग्राम—उमरखोह 02. नवीन ग्राम—टपरा टोला प. ह. नं.—17.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला—रायसेन
2.	01. मूल ग्राम—मरखण्डी 02. नवीन ग्राम—तिन्साई प. ह. नं.—34.	
3.	01. मूल ग्राम—सुल्तानगंज 02. नवीन ग्राम—सुल्तानगंजपठार प. ह. नं.—8.	
4.	01. मूल ग्राम—बेरसला 02. नवीन ग्राम—भजिया प. ह. नं.—48.	

तहसील—सिलवानी **जिला—रायसेन**

1.	01. मूल ग्राम—सिंगपुरी 02. नवीन ग्राम—उचेरा प. ह. नं.—5.	अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला—रायसेन
2.	01. मूल ग्राम—नगपुरा 02. नवीन ग्राम—नगझिरी प. ह. नं.—52.	
3.	01. मूल ग्राम—मेहका जागीर 02. नवीन ग्राम—लामनयाऊ प. ह. नं.—57.	
4.	01. मूल ग्राम—फुलमार 02. नवीन ग्राम—जूनापुर प. ह. नं.—58.	

No. F. 15-1-2015-VII-Sec. 6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

SCHEDULE

Tahsil—Begamganj **District—Raisen**

Serial No. (1)		Name of original village (2)	Designation of the officer authorised to prepare record of rights (3)
1.	01.	Org. Village—Umarkhoh	Superintendent of Land Records (permanent) District—Raisen.
	02.	New Village—Tapra Tola P. H. No. 17.	
2.	01.	Org. Village—Markhandi	
	02.	New Village—Tinsai P. H. No. 34.	
3.	01.	Org. Village—Sultanganj	
	02.	New Village—Sultanganj Pathar P. H. No. 8.	
4.	01.	Org. Village—Bersala	
	02.	New Village—Bhajiya P. H. No. 48.	

Tahsil—Silwani **District—Raisen**

1.	01.	Org. Village—Singpuri	Superintendent of Land Records (permanent) District—Raisen.
	02.	New Village—Uchera P. H. No. 5.	
2.	01.	Org. Village—Nagpura	
	02.	New Village—Nagjhiri P. H. No. 52.	
3.	01.	Org. Village—Mehka Jageer	
	02.	New Village—Lamnayau P. H. No. 57.	
4.	01.	Org. Village—Phulmar	
	02.	New Village—Junapur P. H. No. 58.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. रजक, उपसचिव.